(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 261/2015 जीसीएमएस नम्बर :– 2015/00313

1. यासिन खान पुत्र श्री नानू खान जाति धोबी मुस्लमान निवासी ढाणी धोबियान तन बुहाना तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज)
2. हनीफ पुत्र नजीर खान जाति धोबी मुस्लमान निवासी ढाणी धोबियान तन बुहाना तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
3. मुन्शी खान पुत्र नानू खान जाति धोबी मुस्लमान निवासी ढाणी धोबियान तन बुहाना तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)

.......................वादीगण

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीदार महोदय बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
2. इन्द्रसिंह
3. रघुवीर सिंह पुत्रान धुकलसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
4. रोतान सिंह
5. बनवारी सिंह पुत्रान रावत सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. रिसाल पत्नि स्वं. जैनारायणसिंह
7. महेन्द्र सिंह
8. राजुसिंह
9. सुनिल सिंह पुत्रान जैनारायणसिंह नवीरा रावत सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

....................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत– घोष्णात्मक खातेदारी [illegible] दुरूस्ती

दिनांकः– [illegible]5/25

–:निर्णयः–

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1. यह कि वादीगण ढाणी धोबियान तन बुहाना के जागरूक नागरिक व स्थाई निवासी हैं। वादीगण को ग्राम ढाणी धोबियान के निवासीयों ने उक्त दावा पेश करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया हैं वादीगण को प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार पत्र संलग्न दावा है। इस प्रकार उक्त वाद वादीगण की ओर से प्रतिनिधि वाद पेश करने के लिए अधिकृत हैं वादीगण द्वारा प्रतिनिधि वाद पत्र पेश हैं। प्रतिनिधि बनाने बाबत पत्र संलग्न दावा हैं।
2. यह कि ग्राम बुहाना स्थित राजस्व रिकार्ड में भुमि जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 व उससे पूर्व कि गत खसरा नं. 328 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है जिसमे वादीगण की ढाणी अलमहूर ढाणी धोबियान तन बुहाना करीब 150 वर्षों से बसी हुई हैं। उक्त ढाणी वादीगण के पूर्वजों के समय से रिहायशी मकानात आदि बनाकर आबाद है जिसका राजस्व रिकार्ड में भी किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड हैं।
3. यह कि वाद वर्णित भूमि गत खं. 328 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी के हाल बन्दोबस्त ने हाल ख. न. 1525 रकबा 0.05 है0 गै. रास्ता व ख. न. 1725 रकबा 0.21 है0 गै. रास्ता दर्ज रिकार्ड हैं जबकि मौके पर आज भी गत ख. न. 328 में ढाणी धोबियान के निवासी रिहायशी मकानात (ढाणी) बनाकर आबाद हैं। व इसी प्रकार गत नक्शा ट्रेस सम्वत 1993 में ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत ख. न. 328 में आबादी भूमि दर्ज हैं जबकि हाल नक्शा ट्रेस सन 1979–1980 में वादीगण की रिहायशी ढाणी कि जगह हाल ख. न. 1789 दर्ज कर प्रतिवादी सं. 2 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी स्व. धुकलसिंह, रावतसिंह, हजारीसिंह, व प्रहलाद सिंह दर्ज रिकार्ड कर दिया जबकि मौके पर उक्त ख. न. 1789 में वादीगण की रिहायशी ढाणी धोबियान तन बुहाना स्थित हैं। जो की काबिले दुरूस्ति योग्य हैं।
4. यह कि ख. न. 1789 के खातेदार धूकलसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 खातेदार व रावतसिंह की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर प्रति. सं. 4 लगायत 8 को उसके वारीसान होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। खातेदार हजारीसिंह व प्रहलादसिंह नाऔलाद फौत हो चुके है जिसके प्रतिवादी सं. 2 लगायत 8 ही विधिक वारीस हैं।
5. यह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 के ख. नं. 1585 रकबा 0.05 है0 गै. रास्ता दर्ज रिकार्ड हैं। या[illegible] ख. न. 328 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के हाल ख. न. 1585 रकबा 0.05 व 1765 रकबा 0.21 है0 दोनों गै. मु. रास्ता दर्ज कर दिया जबकि मौके पर [illegible] 328 पर ढाणी धोबियान बसी हुई है। मौके पर वादीगण व ढाणी के दुसरे व्यक्तियों [illegible] जिनके वादीगण प्रतिनिधि है के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रिहायशी मकान बने है जिनमें वादीगण व अन्य लोग बसे हुए है। और गत नक्शा ईस सम्वत 1993 में गत ख. न. 328 में आबादी भूमि दर्ज है जबकि पैमाइश के बाद नवीन नक्शा ट्रेस सन 1979–1980 में गत ख. न. 328 की आबादी भूमि को हाल ख. न. 1585 रकबा 0.05 है0 गै. मु. रास्ता व हाल ख. न. 1725 रकबा 0.21 है0 गै. मु. रास्ता दर्ज कर इसी अनुसार नक्शा भी बना दिया गया। जो काबिले दुरूस्ति योग्य है। इसी प्रकार गत ख. न. 327 जिसके हाल ख. न. 1789 बनाकर ढाणी की रिहायशी भूमि हाल ख. न. 1789 में सम्मलित कर दी जो कि काबिले दुरूस्ति योग्य है।

6. यह कि यदि वादीगण की रिहायशी आबादी की भूमि को ख. न. 1789, 1525 में मिलाकर वादीगण की भूमि गत ख. न. 328 के हाल ख. न. 1725 व 1585 गै. मु. रास्ता दर्ज रहने से वादीगण को भारी हकतलफी है। जिसे वादीगण को दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकार है।

7. यह कि वादीगण की आबादी भूमि को गै. मु. रास्ता दर्ज कर दिये जाने व उनकी रिहायशी भूमि गत ख. न. 328 गै. मु. आबादी को हाल ख. न. 1779 में मिला दिये जाने के बाद वादीगण ने राजस्व अधिकारीयों को बार–बार दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया लेकिन राजस्व अधिकारीयों ने रिकार्ड दुरूस्त नही किया इसलिए वादीगण को यह दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ति पेश करना आवश्यक हुआ है।

8. यह कि दावे के लिए आधार विवाद वादीगण द्वारा राजस्व अधिकारीयों के यहां आवेदन पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ति पेश करने व उनके द्वारा रिकार्ड दुरूस्त करने से इन्कार करने से पैदा हुआ है जो अन्दर मियाद है।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम बुहाना में स्थित है जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

10. यह कि वाद पत्र घोषणात्मक के लिये 1 रूपयें कोर्ट फीस नियत है व रिकार्ड दुरूस्ति के लिए 1 रूपयें कोर्ट फीस नियत हैं। इस प्रकार वाद पत्र कुल 2 रूपयें कोर्ट फीस पर पेश है।

11. यह के वाद वर्णित भूमि का आज तक का अपटूडेट रिकार्ड पेश कर दिया हैं।

12. यह कि दावा की द्वितीय प्रति व वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथपत्र संलग्न है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत ख. न. 328 रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा के हाल ख. न. 1525 व 1789 के बजाय नये खसरा [illegible] 328 की भूमि को ढाणी धोबियान तन बुहाना आबादी घोषित किये जाने का व उक्त ढाणी के नये खसरा नम्बर दर्ज रिकार्ड किये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(ख). कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत ख. न. 328 के नक्शा ट्रेस को वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस को भी संशोधित कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की तामील असालतन होकर प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 7, 9 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा/ जवाब दावा पेश किया गया तथा No objection पेश किया। शेष की बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 20.01.2016 को लाई गई। तहसीलदार बुहाना की मोका रिपोर्ट, बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 328 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के हाल ख0 न0 1525 व 1789 के बजाय नये ख0 न0 दर्ज कर गत ख0 न0 328 की भूमि को ढाणी धोबियान तन बुहाना आबादी घोषित किये जाने की व उक्त ढाणी नये ख0 न0 दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7, 9 की और से जवाब दावा निम्न प्रकार रहा कि :–

1. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में सरासर गलत होने से स्वीकार नही है। वादीगण कतई जागरूक नही बल्कि मुक्दमेंबाजी में विश्वास करने वाले व्यकित है उनको किसी ने भी प्रतिनिधि नियुक्त नही किया हैं ना ही ऐसा कोई अधिकार पत्र कानूनी देया होता है। वादीगण का यह दावा गलत दर्ज हुआ है। जो निरस्त योग्य है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 गलत होने से स्वीकार नही है। गत ख0 न0 328 गै0 मु0 आबादी है लेकिन आबादी भूमि [illegible]त्व किसी व्यकित को नही होता है। गै0 मु0 (उसकी किस्म [illegible] मुमकिन ना हो) किस्म की भूमि अर्थात गैर मुमकिन आबादी की भूमि पर अधिकार केवल ग्राम पंचायत को होता है इसलिए गैर मुमकिन आबादी भूमि बाबत वादीगण को दावा लाने का कोई अधिकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उक्त वाद में न्यायालय द्वारा निम्न विवाधक विरचित किये गये

1. आया वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत ख0 न0 328 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 में गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। और मौके पर उक्त भूमि में आबादी बसी हुई है।

............प्रमाण भार वादीगण

2. आया ग्राम बुहाना स्थित भूमि का हाल नक्शा ट्रेस गत नक्शा ट्रेस के अनुसार व मोके के अनुसार दर्ज नही है राजस्व विभाग ने गलत बना दिया ।

..............प्रमाण भार वादीगण

3. आया ग्राम बुहाना स्थित भूमि वाद वर्णित में वर्तमान में प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है और मोके पर ढाणी धोबियान की आबादी बसी हुई है।

.... प्रमाण भार प्रतिवादीगण

4. आया वाद वादी कानूनन पोषणीय नही होने से चलने योग्य नही है।

.... प्रमाण भार प्रतिवादीगण

वकील वादी की बहस, पेश की प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7, 9 की और से श्री राजेश यादव एडवोकेट द्वारा जवाब दावा पेश किया एवं No objection पेश किया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी. डब्ल्यू–1 यासिन खान, पी. डब्ल्यू–2 हनिफ खान, के शपथ पत्र पेश किये गये निवेदन किया कि शेष प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, जमाबन्दी सम्वत 2066–2069, जमाबन्दी सम्वत 2050–2053, जमाबन्दी सम्वत 2027–2030, जमाबन्दी सम्वत 2023–2026, नक्शा 2036– 2037, तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट, तनकीयात, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण बाबत अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत ख. न. 328 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के हाल ख0 न0 1525 व 1789 के बजाय नये खसरा नम्बर दर्ज कर गत ख0 न0 328 की भूमि को ढाणी धोबियान तन बुहाना आबादी घोषित किया जाकर गत ख0 न0 328 के नक्शा ट्रेस को वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस को भी संशोधित कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 5/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 261/2015

जीसीएमएस नम्बर :– 2015/00313

यासिन खान बनाम सरकार आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7, 9 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थिति में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण बाबत अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत ख. न. 328 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के हाल ख0 न0 1525 व 1789 के बजाय नये खसरा नम्बर दर्ज कर गत ख0 न0 328 की भूमि को ढाणी धोबियान तन बुहाना आबादी घोषित किया जाकर गत ख0 न0 328 के नक्शा ट्रेस को वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस को भी संशोधित कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 5/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना